समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.कं. निगरानी /239/ I / 2017

1—कुंजबिहारी पुत्र रामचरन मीणा
2—सुगन पुत्री मंसाराम मीणा
3—परसादी पुत्री मांगीलाल मीणा

H.V. Dubey (Advocate) Dist. Court Sheopur

श्री एच. व्ही. दुबे, अभि. द्वारा आज दि. 18.1.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समस्त निवासीगण ग्राम नारायणपुरा
तह.बडौदा जिला श्योपुर म.प्र.

.............निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा अपर कलेक्टर, श्योपुर

...........गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

95
16-1-17

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 विरूद्व अपर कलेक्टर श्योपुर के प्र.कं. 02 / 2010—11 / स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07.10.14 से व्यथीत होकर।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :—

यह कि आवेदकगण द्वारा ग्राम नारायणपुरा तह. बडौदा की भूमि सर्वे कं. 1 / 3मि.6 में से 1 बीघा 10 बिस्वा, सर्वे क्. 1 / 3मि.7 में से रकबा 2 बीघा कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पर आवेदक कं. 1, सर्वे क्. 1 / 3मि.3 में से रकबा 2 बीघा, सर्वे क्. 1 / 3मि.4 में से रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा पर आवेदक कं. 03, सर्वे कं. 1 / 3मि.4 में से रकबा 15 बिस्वा, सर्वे नं. 1 / 3मि.5 में से रकबा 2 बीघा, सर्वे कं. 1 / 3मि.6 में से रकबा 10 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा आवेदक कं. 02, सर्वे क्. 1 / 3मि.1 में से रकबा 1 बीघा, सर्वे कं. 3 / 4मि.2 में से रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा पर आवेदक क्. 04 द्वारा भूमि व्यवस्थापन का आवेदक तत्कालीन नायब तहसीलदार महोदय बडौदा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे नायब तहसीलदार बडौदा द्वारा अपने प्र.क्. 45 / 4—05 / अ—19 आदेश

क्रमंशः...........2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 239-एक/2017 जिला- श्योपुर

कुंजबिहारी आदि विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला- श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 02/2010-11/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को आयुक्त, चम्बल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	